



राजस्थान राजपत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Published by Authority

पौष 13, सोमवार, शाके 1943-जनवरी 03, 2022 Pausa 13, Monday, Saka 1943- January 03, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2) अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 3, 2022

संख्या प.2(26)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की स्चनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

> राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2022 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई) कृषि विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयाँ की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
 - 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "कृषि विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और
 - (ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।
- 3. कृषि विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

- (2) कोई भी व्यक्ति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कृषि शिक्षा में, आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।
- (3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सिम्मलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-
 - (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति:
 - (ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
 - (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

- (4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (5) खोजबीन समिति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।
- (6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।
- (7) कुलपति की पदाविध उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अविध के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

- (8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।
- (9) जब कुलपित के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपित द्वारा, उप-धारा (3) के

अनुसार भरी जायेणी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

- (10) जब कुलपित के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुटी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपित को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपित के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपित द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।
- (11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।
- (12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (13) जहां, कुलपित के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।
- (14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।
- (15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
 - (16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-
 - (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और
 - (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अधवैतनिक छुटी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अधवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्ः

"कुलपति का हटाया जाना.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का

पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपित को हटा सकेगाः

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, क्लपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-
 - (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;
 - (ख) क्लपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति दवारा किया जायेगा।"।
- 4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 में नयी धारा 49-क का अंत:स्थापन.- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयप्र अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) की विद्यमान धारा 49 के पश्चात् और विद्यमान धारा 50 से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"49-क. अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्तियों के स्थानान्तरण की शक्ति.-क्लाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी भी समय किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसका कि वह कुलाधिपति है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो आदेश में अवधारित की जायें, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में-

- (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के; या
- (ख) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किन्हीं भी अधिकारों या हितों के; या
- (ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, संदान, सहायता, या उपकृति के; या
- (घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में या विरुद्ध उपगत या विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्हीं भी शोध्यों, दायित्वों या बाध्यताओं के; या
- (ड) किसी भी वसीयत, दान या न्यास को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी भी विल, विलेख, या अन्य दस्तावेज के,

स्थानान्तरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो आवश्यक समझे जाये।"।

	अनुसूची (धारा 3 देखिए)		
	3	4	5
1 2			

1	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी	न राज-पत्र, जनवरी	03, 2022	
	विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम,	2000 का अधिनियम सं. 8	धारा 24	धारा 24क
2	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,	2012		
3	जावनर आधानयम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 20	धारा 25	धारा 25क
	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013	2013 का	धारा 25	धारा 25क
4		अधिनियम सं. 21		
	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013	2013 का अधिनियम सं. 22	धारा 25	धारा 25क

I AW A DOVER

प्रवीर भटनागर, प्रमुख शासन सचिव।